बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 3952/2020, स्वाति चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 01.03.2021 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा S.L.P. (C) No. 11174/2021, राज्य सरकार एवं अन्य एवं स्वाति चतुर्वेदी एवं अन्य में दिनांक 30.07.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 06/2018) के एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक – 112099, स्वाति चतुर्वेदी का अन्तिम परीक्षाफल

विज्ञापन संख्या – 06/2018 के अन्तर्गत असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पदों पर नियुक्ति हेतु 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा वर्ष 2019 में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के बाद कुछ उम्मीदवारों के योगदान नहीं करने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 06/2018) के एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक – 112099, स्वाति चतुर्वेदी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 3952/2020, स्वाति चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया जिसमें दिनांक 01.03.2021 को पारित न्यायादेश में माननीय न्यायालय द्वारा वाद को allow किया गया है। साथ ही उक्त न्यायादेश में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को उक्त उम्मीदवार के लिए 01 रिक्ति बिहार लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने एवं बिहार लोक सेवा आयोग को उक्त प्राप्त रिक्ति के विरूद्ध उक्त उम्मीदवार की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश के विरूद्ध दायर S.L.P. (C) No. 11174/2021, राज्य सरकार एवं अन्य एवं स्वाति चतुर्वेदी एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दिनांक 30.07.2021 को पारित न्यायादेश द्वारा वाद को खारिज किया गया है।

आयोग, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 3952/2020, स्वाति चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 01.03.2021 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा S.L.P. (C) No. 11174/2021, राज्य सरकार एवं अन्य एवं स्वाति चतुर्वेदी एवं अन्य में दिनांक 30.07.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध करायी गई अनारक्षित (01) कोटि की एक रिक्ति के विरूद्ध संयुक्त मेधा क्रमांक – 174, अनुक्रमांक – 112099, स्वाति चतुर्वेदी को सफल घोषित करता है।

1.11.21

तिथिः 01 नवम्बर, 2021

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना